

HP-PERC

ANNUAL REPORT 2011-12

H.P. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS REGULATORY COMMISSION

Majitha House Complex, Shimla -171 002 Tel: 0177-2629663, 2629665, Fax: 0177-2629663

CONTENTS

S. NO	TITLE	PAGES
1	INTRODUCTION	1-2
2	ORGANISATION OF THE COMMISSION	3-4
3	ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION	5-6
4	IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED BY THE COMMISSION	7-15
5	PENALTIES IMPOSED AND AMOUNT RECOVERED FROM VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS	16
6	OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS	17
7	ACCOUNTS OF THE COMMISSION	18-19

INTRODUCTION

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission was established by the Govt. of Himachal Pradesh under Section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching examination, research, extension programmes and protection of interest of students of the private higher educational institutions. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 covers various operational aspects for implementation of the Act such as terms and condition of services, directive powers, operation of funds, penalties, etc. The provisions of this Act or Rules or Orders made thereunder, shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

The following legislations, rules and regulations are significant and worth mentioning here in context to the role and functions of the Regulatory Commission.

- Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010: The Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the sixty-first year of the Republic of India promulgated this legislation which provides for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the private higher educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;
- University Grants Commission Act, 1956 and Rules & Regulations made there under.
- UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
- UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009.
- All India Council for Technical Education Act, 1987 and Rules & Regulations made there
 under.

• Other State/Central Regulatory Bodies Acts/Rules/Regulations providing standards and norms, which have bearing on, the quality of higher education.

VISION FOR HIGHER EDUCATION: The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission envisages its role as a facilitator and partner with Govt., Central regulatory bodies and institutions for quality higher education with the following Vision.

"To make Himachal Pradesh a recognized hub and a preferred choice of students for Quality Higher Education".

CORE VALUES: In order to meet the Vision for higher education within the framework of legislations, the Regulatory Commission commits itself and sets forth the following Core Values.

- 100% commitment to Higher Education quality.
- Transparency.
- Integrity.


ORGANIZATION OF THE COMMISSION

Constitution of the Commission: The Government of Himachal Pradesh *vide* Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 27.07.2011 appointed Ms. Sarojini Ganju Thakur, IAS (*Retd.*) as founder Chairperson of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for a period of three years from the date of her joining as such (i.e. 04.08.2011) or until she attain the age of 65 years, whichever is earlier.

Staff of the Commission: The Government of Himachal Pradesh has initially sanctioned 27 different categories of post(s) in the Commission *vide* Notification(s) No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 20.07.2011 and 13.01.2012 respectively. The staff in-position against the sanctioned strength as on 31.03.2012 was as under.

Sr.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant
No.				(as on 31.03.2012)
1	Chairperson	1	1	-
2	Member	1	-	1
3	Secretary	1	1	-
4	Advisors	2	-	2
5	Law Officer	1	-	1
6	Programmer	1	-	1
7	Finance officer	1	1	-
8	Private Secretary	1	-	1
9	Personal Assistants	3	1	2
10	Senior Assistants	2	1	1
11	Clerk	1	1	-
12	DEO	3	-	3
13	Driver	3	1	2
14	Class-IV	5	2	3
15 Chowkidar		1	-	1
	Total	27	9	18

The Organisation structure of the Commission is as under:-



The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission commenced it's functioning in August 2011 from a camp office at H.P. Secretariat with the skeleton staff i.e. One Chairperson, one Secretary (Additional Charge) and one Personal Assistant. Initially the staff of the Commission was appointed on secondment basis as per approvals accorded by the State Government. The Government of Himachal Pradesh has provided an amount of Rs.70.00 lacs as loan to the Commission to meet its initial inception expenses. The office accommodation at Majitha House Complex was allotted to the Commission by the State Government in the month of October, 2011. To make the office operational, apart from addition/alteration works to make it suitable to meet the requirement of the Commission, equipping the office and staffing were also priority concerns. In brief, with the meagre financial assistance and skeletal staff, the Commission has been effectively operationalized and successful in achieving the mandate entrusted to it under HP-PERC Act, 2010.

ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION

Powers and functions of the Commission: The H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has been mandated to discharge the following functions under the Act.

- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institutions to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/ Regulatory Body for the winding up of the Institution.
- (2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.
- (3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be addressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.
- (4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.
- (5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

Procedure and Powers of the Commission:

- (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning of any public record;
 - (e) issuing commission for the examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders;
 - (g) any other matter which may be prescribed.
- (2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.
- (3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.
- (4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

Penalties:

(1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made there under, or directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees;

Provided further that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other Fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

While exercising power and discharging its duties, the Regulatory Commission ensures utmost transparency and accountability in its functioning.

IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED

The Regulatory Commission with the aim to achieve the objectives and in the pursuit of discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 has taken several initiatives not only to establish the institution but also to develop regulations/systems for implementations of various regulatory provisions within the shortest possible time in view of the contentious scenario of education in the private higher educational institutions of the State. The Regulatory Commission covers all the private educational institutions in the State viz., Degree Colleges, Professional Colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medical, Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, Centre of Excellence or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognised Board of School Education. There are approximately 252 institutions of higher education under the jurisdiction of Regulatory Commission in the State including 16 state private universities and 17 private engineering colleges. Geographical distribution of private higher educational institutions in the State is as under.

District	University	Engineering Technology& Management Colleges	Polytechnic Colleges	B.Ed/ M.Ed/ BP.Ed Colleges	Pharmacy/ Nursing/ Dental/ Homeopathy	Degree/Sanskrit / Law & Bio- Sciences Colleges	Total
Shimla	1	1	-	10	3	12	27
Chamba	-	-	-	2	-	5	7
Kangra	2	2	2	17	4	18	45
Hamirpur	1	2	4	12	2	11	32
Mandi	-	4	6	19	4	7	40
Sirmour	1	3	1	4	2	7	18
Una	1	2	3	4	2	15	27
Bilaspur	-	1	-	2	1	5	9
Solan	10	2	4	9	6	10	41
Kinnaur	-	-	-	1	-	-	1
L &Spiti	-	-	-	-	-	-	0
Kullu	-	-	-	3	1	1	5
Total	16	17	20	83	25	91	252

To improve education standards and implementation of regulatory norms in the institutions of higher education, wherein, more emphasis was given to the Universities in the first phase, the Regulatory Commission has taken following initiatives during the year 2011-12.

1. Stakeholder's Consultation:

The Regulatory Commission has been working as a facilitator with Private Universities in order to improve quality of education and initiated stakeholders consultation process so as to establish future ways of working and to provide enabling regulatory environment with the State Government Agencies involved in the process

of establishment of institutions, approval of courses/fees,

monitoring of norms and with the State Private Universities regarding streamlining the process and 'Building a Vision for

Private University Education in the State.



Stakeholders Consultation Workshop

2. Academic Review of Universities:

To ascertain the status of courses offered by the state private universities vis-à-vis Govt. approvals, detailed scrutiny were undertaken by the Commission and initiated action against the institutions running courses without approval of the State Govt. Besides, on the recommendation of the Regulatory Commission, B. Tech integrated degree programme being offered after 10th standards at University level was discontinued by the State Government. During the academic session 2011-12, twelve state private universities have offered Diploma/Under Graduate/Graduate/Post Graduate/Research programmes in about 59 engineering discipline(s) and 57 other courses of management(s), science(s), social science(s), law, pharmacy, etc. as per the following details.

S.	Degree/Diploma Programs	Engineering	Others	Total
No			course(s)	
1	Under Graduate Degree	32	18	50
2	Post Graduate Degree	13	14	27
3	Research Degree	6	19	25
4	Other Diploma/Certificate course(s)	8	6	14
Ove	rall status	59	57	116

The status of Course(s) offered by each State Private University vis-a-vis student's enrolment during academic session 2011-12 was as under.

Sr.	Name of University	No. of Cou	ırses	Enrolled Students		Total
No.		Engineering	Others	Engineering	Others	Enrolled
						Students
1	Arni University,	14	27	327	306	633
	Kangra					
2	Baddi University,	14	6	743	198	941
	Solan					
3	Bahara University,	13	11	431	180	611
	Solan					
4	Chitkara University,	4	3	860	7	867
	Solan					
5	Eternal University,	11	16	613	480	1093
	Baru Sahib, Sirmour					
6	ICFAI University,	1	2	18	0	18
	Solan					
7	Indus International	15	9	127	43	170
	University, Una					
8	Jay Pee University,	14	16	523	131	654
	Solan					
9	Manav Bharti	19	22	334	513	847
	University, Solan					
10	MM University,	9	7	27	29	56
	Solan					
11	Shoolini University,	14	23	359	442	801
	Solan					
12	Sri Sai University,	11	4	367	108	475
	Palampur					
	Total			4729	2437	7166


From the above tables, it is clear that the focus of courses being run by the universities is primarily on Engineering/Technical courses and that other courses which include

management, pharmacy, hotel management, science and art subjects are comparatively less. The Govt. of Himachal Pradesh in January, 2011 introduced an amendment in the State Private University Acts making course approval mandatory from the State Govt. till the first batch passes out.

The Regulatory Commission has also constituted a Committee to review all research programmes being run by the private universities in the State. Besides, the universities have been directed to remove deficiencies to bring their programmes in line with the UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009.

In the pursuit to bring transparency and accountability in the functioning of the Universities, after constant persuasion and reviews the Regulatory Commission has brought all information on approved courses/ fees, students enrolled, faculty,

infrastructure, academic regulations, course curriculum, degree awarded etc. on the public domain through their websites. Besides, website of the Regulatory Commission (www.himachal.nic.in/perc) was developed and hosted on 12.01.2012.



Snapshot of Commission's website

3 Admission Norm:

The H.P Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination. Therefore, in order to regulate admission norms especially in technical and professional courses and with a view to adopt transparent uniform cross

comparable admission processes in the State, duration and entry level qualification for all technical and professional courses not to be less than the AICTE norms was prescribed and each university was directed to notify this requirement in advance on their website and prospectus for the next academic session i.e. 2012-13. The Commission has streamlined the admission criteria and ensured merit based admissions in all the State Private Universities and made its disclosure mandatory not only to the Commission but also to the public at large through their web portal.

4. Uniform Academic Calendar:

The Regulatory Commission has prescribed a uniform academic calendar as per UGC norms (90 teaching days per semester) with the semester duration (July to December) and (January to June) after a due consultative process and collection of fees in two equal instalments at the beginning of each semester for all the private universities in the State and streamlined the process and prescribed timeline for advance approval of course/fees before commencement of academic session.

5. Grievance Redressal:

The Grievance Redressal of students and parents is one of the vital functions of the Regulatory Commission. In this regard, the Commission has established/put in place

the Grievance Redressal mechanism and also issued public notices through print media for general awareness. Besides, notice board(s) have also been placed in every institution for information and awareness of students, parents. In one case, the Regulatory Commission has also ordered refund of admission fees amounting of Rs. 29000/- only to Sh. PD Ajeya of District Kangra, during the year 2011-12. (Grievance Regd. No. PERC/PG/2011/07/vii).



News Paper Clippings

The overall status of grievance(s) received against the different private higher educational institutions in the State and action taken thereof during the year 2011-12 is as under.

Total	No. of	Redressal through directive		Initiated	proceedings
grievance(s) received			powers U/S 11 of the		
during the year 2011- 12		Disposed	Under process/pending decision	PERC, A	ct, 2010
	36	13	22		1

6. Financing of Commission:

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8(a) of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, the Commission has notified regulation for levy of 1% of the total fees (except refundable securities) received by the private higher educational institutions in the State every year to be credited into the fund established by the Regulatory Commission for meeting expenses required in connection with the discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 and also for meeting objects and the purposes authorised by the Act. During the year 2011-12, the Regulatory Commission has made assessment to the tune of Rs. 13972559/- and received an amount of Rs. 1989900/- only. The detail of fee assessed and amount realised during the year (as on 31.03.2012) is as under:

Sr. No.	Name of Institution	Assessment U/S 8(a) (Amount in Rs.)	Realisation (Amount in Rs.)
1	Bahra University	8,86,750.00	0
2	Chitkara University	51,19,798.00	0
3	Arni University	13,41,372.00	0
4	Indus University	3,70,619.00	0
5	Eternal University	7,16,758.00	0
6	Shoolini University	7,93,030.00	0
7	Baddi University	16,86,232.00	0
8	Jaypee University	30,49,500.00	19,89,900.00
	Total	1,39,64,059.00	19,89,900.00

7. Inspections:

To ascertain the standards of admission, teaching, examination, research, faculty and infrastructure being maintained by the institution in accordance with the Central/State Regulatory bodies norms and/or guidelines issued by the Central/State Government and compliance of statutory provisions as per Act/Statutes of the University from time to time, the Regulatory Commission under Section 9(4) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, has notified the following 'Inspection Schedule' for Private Higher Educational Institutions in the State to be conducted by the Commission itself or through 'Expert Committees' to be constituted for the purpose from time to time;

S. No	Category of Institution	Frequency of Inspection
1	State Private Universities.	Half Yearly
2	Private Medical/Dental/Engineering & Technology/ Management Colleges.	Annual
3	Private Nursing/ Pharmacy Colleges.	Annual
4	Private B.Ed. /M. Ed. / B.P. Ed. Colleges/ Law Colleges.	Annual
5	Private Degree Colleges/ Affiliated- Associated Sanskrit Colleges.	Biennial

Since the Commission came into existence only in August 2011, and for the purpose of inspection(s) mostly the reliance were placed on the inspections carried out by the State Government's Committees. However, specific inspections of the following Private Education Institutions were also conducted by the Regulatory Commission during the year 2011-12.

- 1. Manav Bhart Univesity, Solan.
- 2. Arni University, Kathgarh, Indora.
- 3. Bells Institute of Management and Technology, Mehli, Shimla.
- 4. Pt. Gauri Shankar, Memorial Polytechnic, Arki.

8. Meeting(s)/ Workshop(s):

To improve the educational standards and systems within the Universities, the Regulatory Commission has organised the following important meeting(s)/workshop(s) with various State agencies/institutions during the year 2011-12 and a brief detail of the event(s) is as under:-

S. No.	Date	Participating institution(s)	Subject matter of the meeting		
1	20.10.2011	State Government (Department	To define the role and functioning of		
		of Higher Education, Technical	Government/Commission vis-a-vis		
		Education and Medical	private institutions of higher		
		Education).	education-future ways of working.		
2	3.11.2011	Vice Chancellors and	Building a Vision for Private		
		Registrars of State Private	University Education in Himachal		
		Universities.	Pradesh.		
3	15.11.2011	Vice Chancellor, Himachal	Issues regarding the quality of		
		Pradesh University, Shimla.	education in private colleges affiliated		
			to the H.P. University.		
4	17.01.2012	State Government (Department	Amendment in Acts related to		
		of Higher Education, Technical	l regulation of Higher Education		
		Education, Medical Education,			
		Law).			
5.	21.01.2012	Vice-Chancellors of the State	Adoption of uniform admission		
		Private Universities.	standard, awareness about AIEEE,		
			CMAT, adoption of Wipro Mission		
			10K, uniform academic calendar,		
			approval process etc.		
6	31.01.2012	Vice Chancellor, Himachal	Adoption of HPMAT and other		
		Pradesh University, Shimla	entrance examination as a common		
			norm for entire State.		
7	15.02.2012	Vice Chancellors/	Finalization of modalities for		
	&	representatives of HPU, Shimla	admission to management courses		
	23.02.2012	& HPTU, Hamirpur and	(MBA&BBA) and professional		
		stakeholder State Private	courses (MCA&BCA) as admission		
		Universities.	norm in the State Private universities.		

9. Implementation of RTI Act, 2005:

For implementation of the Right to Information Act, 2005, the Regulatory Commission has notified the following Public Information Officer and Appellate Authority.

Name	Designation	Telephone No.				
		Office/Mobile	Residence			
Appellate Authority	Appellate Authority					
Mrs. Sarojini G.Thakur	Chaiperson	0177-2629665	0177-2627125			
		9418024455				
Public Information Officer	Public Information Officer					
Dr. Manoj Chauhan	Secretary	0177-2629663	0177-2628533			
		9418044033				

The status of request for obtaining information under Section 6 of the Right to Information Act, 2005 during the year 2011-12 is as under.

No. of request/application(s) received	Replied	Transferred	Appeals
Nil	NA	NA	NA

10. Other Academic Initiative:

On the initiative of the Regulatory Commission, Mock AIEEE Test scheme for all Govt. Schools was evolved and which is being administered through Department of Higher Education and implemented by all the State Private Universities with an objective to enhance the awareness level of students aspiring for engineering programs. In this endeavour, the state private universities have conducted off-line/on-line AIEEE Mock tests in 600 Govt. Senior Secondary Schools teaching science at 10+2 level throughout the State benefitting 6598 students.

PENALTIES IMPOSED AND AMOUNT RECOVERED FROM VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS

During the year 2011-12, the Regulatory Commission has instituted the following proceedings for major violations under Section 11 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 which provides for imposition of penalties for contravention of the provisions of the Act, Rules and regulations made thereunder. Whereas, the Rule 6 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011, lays down the minimum and maximum limit of the penalty to be imposed under Section 11 of the Act No. 15 of 2011.

For the contravention of regulatory norms by the Manav Bharti University specific to standards laid down for admission to various courses, shortfall in qualified faculty, inadequate infrastructure facilities especially laboratory, workshops, equipments and machinery etc. the Regulatory Commission has imposed a penalty of Rs. 1.00 Crore on the University. The specific nature of violations and penalty so imposed is as under.

S.	Case	Name of	Nature of violation(s)	Penalty	Amount
No.	No.	Institution(s)		Imposed (Rs)	Recovered (Rs)
1.	1/2011	Manav Bharti	Admission norms:	1.00 Crore	1.00 Crore
		University,	Admitted 115 students not		
		Solan.	fulfilling the basic		
			qualifications (with re-		
			appear/compartment in the		
			entry level in different		
			courses)		
			Shortfall in Faculty		
			strength during August 2011		
			to March 2012		
			Inadequate Infrastructural		
			Facilities (Labs, workshops,		
			equipment and machinery)		

The Regulatory Commission also directed the University to discontinue all Courses not in conformity with the requirement of regulatory body norms in terms of prescribed Faculty requirement and/or qualification, inadequate infrastructure (labs, workshops, equipments and machinery etc.) from the academic session 2012-13.

OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

SYSTEM IMPROVEMENT THROUGH AMENDMENT: There are several aspects of the Acts/Rules, where shortcomings were felt by the H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission during implementation. The Regulatory Commission suggested/advised some provisions to the State Govt. that requires incorporation/amendments in the Acts/Rules and as a result of which the following significant incorporation/amendments have taken place.

(a) **HPPERC** Act:

- Power to make regulations to carry out the provisions of this Act and Rules.
- Directive Powers: to issue directions for contraventions of the provisions of the Act.

(b) State Private Universities Acts:

- Approval of courses: To be done by the Commission to create synergy in approval and enforcement of regulation.
- Provision for reporting to the Commission.
- Issues related to Board of Management of the University.
- Blurring of finances between the management and the trust.

Important amendments in State Private Universities Acts are as under.

S.	Sections	Amended provisions			
No					
1.	Section 3	Insertion of new clause "(k) to make the University functional			
		within one year from the date of commencement of the Act".			
2.	Section 41(2)-	In sub section (2), in the proviso, in case the sponsoring body			
	Dissolution of the	dissolves the University before 25 years of its establishment all			
	University by the	assets of the University "including the assets of the sponsoring			
	sponsoring body.	body pertaining to the University" shall vest in the Government			
		free from all encumbrances.			
3.	Section 42(9) -	In sub section (9), in case the Government orders for			
	Special powers of	liquidation/dissolving of the University all assets of the			
	the government in	University including the assets of the sponsoring body pertaining			
	certain	to the University" shall vest in the government free from all			
	circumstances.	encumbrances from the date of dissolution.			

ACCOUNTS OF THE COMMISSION

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. The Govt. of Himachal Pradesh has provided Rs. 70.00 lakhs as loan for its initial establishment. The Section 8(a) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides for levy of maximum of 1% of the total fees collected by the private educational institutions for carrying out its various functions. This is apart from penalties. No further allocation of funds is made by the Commission as it has no subordinate offices. All the receipts and payments of the Commission were regulated through Commission's own Fund as established under the aforesaid Act. The Annual Accounts of the Commission for the year 2011-12 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The accounts of the Commission are being prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet. The accounts of the Commission have not been audited by the C.A.G. of India so far. The Annual Accounts would be laid before the State Legislative Assembly after completion of audit in terms of requirement of Section 13(2) of the Act ibid.

The Annual Accounts of the Regulatory Commission for the year 2011-12 is as under.

S. No	Particular		Amount in Rupees
1	Opening Bala	nce	Nil
2	Loan from the	State Govt.	7000000
3	Receipt U/S 8(a) of HP-PERC Act, 2010		1989900
	Interest		60109
4	Total (1+2+3)		9050009
5	Expenditure	Capital Expenditure	1780956
		Revenue Expenditure	1734729
6	Advances	1	178064
7	Total (5+6)		3693749
8	Closing Balance (4-7) as on 31.03.2012		5356260


Income & Expenditure for the year 2011-12:

Expenditure	Expenditure		
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs)
By salary & Wages to staff	1401345	To Fee Collected	1989900
By Office Expenses	63954	To Interest earned	60109
By Vehicle POL charges	52764	Excess of Expdt. over income	91187
By Stationery	30471		
By Electricity & Water charges	28524		
By Motor vehicle maintenance	15257		
By medical reimbursement	7068		
By Telephone Charges	34648		
By Travelling Allowance	48878		
By Postage & Telegram	4000		
By bank charges	615		
By Vehicle Insurance	14645		
By advertisement expenses	7074		
By Depreciation on Fixed Assets	431913		
Total	2141196		2141196

Balance Sheet as at 31.3.2012:

Liabilities		Assets		
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)	
Loan from the State Govt.	7000000	Cash at Bank (Saving A/c)	5356260	
Less Excess of	91187	Advances outstanding	178064	
Expenditure over income		Furniture & Fixtures	161328	
		Computers	154428	
		Vehicles	1033287	
		Pre-paid insurance	25446	
Total	6908813	Total	6908813	

(Figures are unaudited)





HP-PERC

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग

मजीठा हाउस कॉमपलैक्स, शिमला—171002 दूरभाषः 0177-2629663, 2629665, फैक्स: 0177-2629663

विषय—सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-2
2	आयोग की संघटना	3-4
3	आयोग के कार्य एवं दायित्व	5-7
4	अधिनियम तथा ज़ारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन	8—16
5	विभिन्न चूक करने वाली संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा प्राप्त राशि	17
6	अन्य अवलोकन तथा सिफारिशें	18
7	आयोग के लेखे	19—20

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 3 के अधीन राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराते हुए, प्रवेश, अध्ययन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम तथा निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) नियम, 2011 में सेवा शर्ते, निदेशात्मक शक्तियां, निधि संचालन, दण्ड आदि अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न परिचालन पहलू शामिल किए गये हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम अथवा आदेश वर्तमान समय में प्रचलित किसी अन्य विधि पर कोई असंगत प्रभाव नहीं डालेगें।

विनियामक आयोग की भूमिका तथा कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विधान, नियम तथा विनियम महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं:—

- हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010: भारतीय गणतन्त्र के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा यह विधान प्रख्यापित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्य में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान तथा निजी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा एतद सम्बन्धी विषयों एंव आनुषंगिक मामलों के लिए समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग तथा विनियामक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम और विनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक स्थापित करना तथा उनका संचारण) विनियम, 2003।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल / पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम एवं विनियम।
- अन्य राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों के अधिनियम/नियम/विनियम जिनमें मानक एंव
 मापदण्ड निर्धारित किए गये हों तथा जिनका सम्बन्ध उच्च शिक्षा की गुणवता से हो।

उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिः हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, सरकार, केन्द्रीय विनियामक निकायों तथा संस्थाओं के सहयोग से गुणवता वाली उच्च शिक्षा सुविधांए उपलब्ध करवाने में अपनी भागीदारी निभा रहा है जिसके लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है:—

''हिमाचल प्रदेश को उच्च शिक्षा गुणवता तथा विद्यार्थियों की पहली पसन्द वाला अभिज्ञात शिक्षा केन्द्र बनाना''

सार मूल्यः विधान की परिधि के भीतर उच्च शिक्षा विजन की प्राप्ति के दृष्टिगत विनियामक आयोग निम्नलिखित सार मूल्य स्थापित करने हेतू वचनबद्ध है:—

- उच्च शिक्षा गुणवता के प्रति 100% वचनबद्धता।
- पारदर्शिता।
- सत्यनिष्ठा।


आयोग की संघटना

आयोग का गठनः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या इ.डी.एन—ए—क—(3)—12/2009 दिनांक 27.07.2011 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत श्रीमती सरोजिनी गंजू ठाकुर को उनकी कार्यग्रहण तिथि (अर्थात 04.08.2011) से तीन वर्ष की अविध अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, विनियामक आयोग की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

आयोग का कर्मचारी वर्गः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 20.07.2011 तथा 13.01.2012 को जारी अधिसूचना संख्या इ.डी.एन—ए—क—(3)—12/2009 के द्वारा प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के 27 पद सृजित किए गये। दिनांक 31.03.2012 तक स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	स्वीकृत	भरे गये	रिक्त
				(31.03.2013)
1	अध्यक्षा	1	1	_
2	सदस्य	1	_	1
3	सचिव	1	1	_
4	परामर्शदाता	2	_	2
5	विधि अधिकारी	1	_	1
6	प्रोग्रामर	1	_	1
7	वित्त अधिकारी	1	1	_
8	निजी सचिव	1	_	1
9	निजी सहायक	3	1	2
10	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
11	लिपिक	1	1	_
12	डीईओ	3	_	3
13	चालक	3	1	2
14	चतुर्थ श्रेणी	5	2	3
15	चौकीदार	1	_	1
	योग	27	9	18

आयोग की संघटनात्मक संरचना:-



हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने अगस्त 2011 से कार्य प्रारम्भ किया और अपने न्यूनतम स्टाफ यानि एक अध्यक्षा, एक सचिव (अतिरिक्त प्रभार) और एक निजी सहायक के साथ सचिवालय में शिविर कार्यालय के रूप में कामकाज शुरू किया। आरम्भ में आयोग का स्टाफ राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार प्रतिनियुक्ति (secondment) के आधार पर नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्तूबर 2011 में आयोग को स्थापना व्यय हेतू 70.00 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया। राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर 2011 में आयोग के लिए कार्यालय मजीठा हाउस कॉमपलैक्स में आबंटित किया गया। आयोग की आवश्यकता को पूर्ण करने व उपयुक्त बनाने के लिए कार्यालय में परिवर्धन / परिवर्तन कार्य करने के अतिरिक्त, कार्यालय को व्यवस्थित और स्टाफ की भर्ती करना प्राथमिकताएं थी। संक्षेप में, मामूली वित्तीय सहायता और न्यूनतम स्टाफ के साथ आयोग हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम 2010 के जनादेश को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने में सफल रहा।

आयोग के कार्य एवं दायित्व

आयोग की शक्तियां एवं कत्तर्व्यः हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- (1) आयोग का यह दायित्व होगा कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, विस्तार कार्यक्रम, योग्य अध्यापकों तथा आधारभूत संरचना के मानक अपनाए जा रहे हैं। निर्धारित मानक न अपनाए जाने की स्थिति में आयोग का ऐसे शिक्षण संस्थाओं को अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्ड देने की शिक्तयां प्राप्त होगी, किसी संस्था द्वारा बार—बार गलती किए जाने की स्थिति में आयोग को ऐसी संस्था को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार / विनियामक निकाय को अपनी सिफारिश भेजने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (2) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा।
- (3) आयोग विद्यार्थियों तथा माता—पिता से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु यथोचित तंत्र विकसित करेगा तथा निजी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश देगा कि आयोग को भेजी गई शिकायतों के निराकरण हेतु उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। ऐसी शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर करना होगा एतद् सम्बन्धी किए गये उपायों का विस्तृत विवरण भी रखना होगा।
- (4) जब कभी भी आवश्यक हो आयोग, निजी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसे निरीक्षण किसी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भी करवाए जा सकते हैं।
- (5) आयोग को निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की संवीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

आयोग की प्रक्रिया तथा शक्तियाः

- (1) आयोग को निम्नलिखित मामलों में इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी जाँच अथवा प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में वही शक्तियां प्राप्त होगी जो कि किसी सिविल न्यायालय को आचार दण्ड संहिता 1908 (1905 की 5) के अधीन प्राप्त हैं:—
 - (क) किसी व्यक्ति को बुलाने अथवा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उससे शपथ दिलाकर पूछताछ करना।
 - (ख) किसी दस्तावेज़ अथवा अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में प्राप्त तथा प्रस्तुत करना।
 - (ग) शपथ-पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना।
 - (घ) किसी सार्वजनिक रिकार्ड को मांगना।
 - (ङ) गवाहों के परीक्षण हेतु आयोग के निर्देश ज़ारी करना।
 - (च) निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों को जारी करना।
 - (छ) कोई ऐसा अन्य मामला जो विहित हो।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई अथवा मामले में अन्तरिम आदेश ज़ारी करने की शक्तियां प्राप्त होगी जो वह उचित समझे।
- (3) आयोग अपनी कार्यवाही के दौरान विद्यार्थियों तथा माता—पिता के हितों की पैरवी करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
- (4) इस अधिनियम के अधीन सभी विवादों का निर्णय आचार दण्ड संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार सरसरी तौर पर किए जायेंगे।

दण्ड:

(1) अधिनियम के किसी उपबन्ध अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा आयोग द्वारा ज़ारी निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में आयोग दण्ड दे सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया हो, परन्तु ऐसे दण्ड की राशि एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगी।

उपबधिंत है कि दूसरी बार अथवा बार-बार किए जाने वाले ऐसे उल्लंघनों की स्थिति में पांच करोड़ रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इसके साथ ही यह भी उपबन्धित है कि सम्बधिंत संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) अधीन दिए गये दण्ड की राशि की वसूली सम्बधिंत शिक्षण संस्था की स्थायी निधि अथवा किसी अन्य निधि से भू—राजस्व के बकाए के रूप में की जायेगी।

अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करते हुए आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है।

अधिनियम तथा जारी किए गये आदेशों का कार्यान्वयन

विनियामक आयोग द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों के निर्वहन हेतु हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन न केवल संस्था की स्थापना हेतु पहल की गई अपितु प्रदेश की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त विवादास्पद शैक्षिक परिदृष्य के दृष्टिगत कम से कम समय में विभिन्न विनियामक प्रावधानों को कार्यान्वित करके विनियमों / पद्धित को भी विकसित किया है। विनियामक आयोग के अन्तर्गत किसी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर राज्य की सभी निजी शिक्षण संस्थाएं अर्थात डिग्री कॉलेज, व्यावसायी शिक्षा महाविद्यालय, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी, पैरामेडिकल संस्थान एवं विश्वविद्यालय, विशिष्ट केन्द्र अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति से सम्बधिंत कोई भी अन्य शैक्षिक संस्था शामिल हैं। विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य की लगभग 252 उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं जिनमें 16 राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा 17 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज सिम्मिलत हैं। राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक विभाजन निम्न प्रकार से हैं:

जिला	विश्वविद्यालय	इंजीनियरिंग प्रौद्यौगिकी एवं प्रबंधन कॉलेज	पॉलिटेक्निक कॉलेज	बी.एड. / एम. एड. /बी.पी. एड कॉलेज	फार्मेसी / नर्सिंग / होम्योपैथी / डेंटल कॉलेज	डिग्री / संस्कृत / कानून और जैव विज्ञान कॉलेज	कुल
शिमला	1	1	-	10	3	12	27
चंबा	-	-	-	2	-	5	7
कांगड़ा	2	2	2	17	4	18	45
हमीरपुर	1	2	4	12	2	11	32
मंडी	-	4	6	19	4	7	40
सिरमौर	1	3	1	4	2	7	18
<u> </u> जना	1	2	3	4	2	15	27
बिलासपुर	-	1	-	2	1	5	9
सोलन	10	2	4	9	6	10	41
किन्नौर	-	-	-	1	-	-	1
लाहुल एवं स्पीति	-	-	-	-	-	-	0
कुल्लू	-	-	-	3	1	1	5
कुल्लू योग	16	17	20	83	25	91	252

उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में विनियामक मानक लागू करने की दिशा में पहले चरण में विश्वविद्यालयों पर अधिक बल दिया जा रहा है। विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित पहल की गई:–

1. पणधारियों से विचार-विमर्शः

शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने की दिशा में विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों के लिए

एक सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा कर रहा है, इसी के दृष्टिगत पणधारियों के साथ विचार—विमर्श प्रक्रिया आरम्भ की गई है तािक संस्थाएं स्थापित करने, पाठ्यक्रमों / शुल्क का अनुमोदन, राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया एवं दृष्टि हेतु मानक तय करने सम्बन्धी आगामी उपाय अमल में लाए जा सकें।



पणधारियों के साथ विचार-विमर्श कार्यशाला

2. अकादिमक समीक्षाः

राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किए गये पाठ्यक्रमों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के आशय से आयोग द्वारा सरकारी अनुमोदनों के सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन की गई तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो राज्य सरकार की अनुमित के बिना पाठ्यक्रम चला रही हैं। इसके अतिरिक्त विनियामक आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर 10वीं कक्षा के पश्चात चलाए जाने वाले एकीकृत बी.टैक डिग्री कार्यक्रम को बन्द किया गया। 2011–12 शैक्षणिक सत्र के दौरान राज्य के 12 निजी विश्वविद्यालयों को डिप्लोमा/अंडर ग्रेजुवेट/ग्रेजुवेट/पोस्ट ग्रेजुवेट/अनुसंधान कार्यक्रमों के अर्न्तगत लगभग 59 इंजीनियरिंग शिक्षण तथा प्रबन्धन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि, फार्मेसी आदि के 57 अन्य पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमित प्रदान की गई जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम संख्या	डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रम	इंजीनियरिंग	अन्य पाठ्क्रम	कुल
1	अंडर ग्रेजुएट	32	18	50
2	पोस्ट ग्रेजुएट	13	14	27
3	अनुसंधान डिग्री	6	19	25
4	अन्य डिप्लोमा / सर्टिफिकेट	8	6	14
कुल स्थिति	पाठ्यक्रम	59	57	116
कुल स्थात		33	31	110

अकादिमक सत्र 2011—12 के दौरान प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाली पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की स्थिति तथा दाखिल किए गये विद्यार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से है:—


क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	पाठयक्रमों की संख्या		दाखिल किए गये छात्र		कुल दाखित किए गर	
		इंजीनियरिंग	अन्य	इंजीनियरिंग	अन्य	চার	
1	अर्नी विश्वविद्यालय, कांगड़ा	14	27	327	306	633	
2	बद्दी विश्वविद्यालय, सोलन	14	6	743	198	941	
3	बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन	13	11	431	180	611	
4	चितकारा विश्वविद्यालय, सोलन	4	3	860	7	867	
5	इटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, सिरमौर	11	16	613	480	1093	
6	इकफाई विश्वविद्यालय, सोलन	1	2	18	0	18	
7	इंडस विश्वविद्यालय, ऊना	15	9	127	43	170	
8	जे पी विश्वविद्यालय, सोलन	14	16	523	131	654	
9	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन	19	22	334	513	847	
10	एम एम विश्वविद्यालय, सोलन	9	7	27	29	56	
11	शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन	14	23	359	442	801	
12	श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर	11	4	367	108	475	
	कुल			4729	2437	7166	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा मूल रूप से इंजीनियरिंग / तकनीकी पाठ्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है जहां तक प्रबन्धन, फार्मेसी, होटल प्रबन्धन, विज्ञान तथा कला विषयों का सम्बन्ध है इनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करते हुए पाठ्यक्रमों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया है जब तक कि पहला बैच उतीर्ण नहीं हो जाता।

विनियामक आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त अनुसंधान कार्यक्रमों की संवीक्षा के लिए एक सिमित का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को यह निर्देश भी दिए गये हैं कि वे सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करते हुए अपने कार्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अनुरूप बनाए (एम.फिल / पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया)

विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग द्वारा निरन्तर समीक्षा तथा प्रतिपादन के पश्चात अनुमोदित

पाठ्यक्रमों / शुल्क, दाखिल किए गये विद्यार्थी, संकाय आधारभूत संरचना, अकादिमक विनियम, विषय पाठ्यक्रम, प्रदान की गई डिग्री आदि से सम्बधिंत सभी प्रकार की सूचना अपनी वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र को उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त विनियामक आयोग द्वारा भी अपनी वेबसाईट (www.himachal.nic.in/perc) तैयार करने के उपरान्त 12.01.2012 को प्रतिपादित की गई।



आयोग की वेबसाईट का आशुचित्र

3. प्रवेश मानदण्डः

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 में प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जाए। किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा। अतः प्रवेश मानदंडों, विशेष रूप से व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश विनियमित करने तथा राज्य में एक समान प्रतितुलनीय प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश स्तरीय योग्यताएं AICTE द्वारा स्थापित मानदंडों से कम नहीं होगी तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गये हैं इस आवश्यकता को पहले ही अपनी वेबसाईट तथा आगामी अकादिमक सत्र अर्थात 2012—13 की विवरण—पत्रिका में अधिसूचित करें। आयोग द्वारा प्रवेश मापदण्ड को कारगर बनाते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों में योग्यता पर आधारित प्रवेश सुनिश्चत करते हुए एतद सम्बन्धी सूचना

न केवल आयोग को अपितु सभी वर्ग के लोगों की सूचना हेतु उनके वेबसाईट पोर्टल में आवश्यक रूप में शामिल करने के निर्देश भी दिए गये हैं।


4. एक समान अकादिमक कलैन्डरः

विनियामक आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार एक समान अकादिमक कलैन्डर निर्धारित किया है जिसके अनुसार (प्रत्येक समेस्टर के लिए 90 अध्यापन दिवस) तथा (जुलाई से दिसम्बर) तथा (जनवरी से जून) निश्चित की गई है, राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय समयक विचार—विमर्श के पश्चात प्रत्येक समेस्टर के आरम्भ में दो समान किस्तों में फीस वसूल करेंगे तथा अकादिमक सत्र आरम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रम / फीस सम्बन्धि अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम रूप में तय करेंगे।

शिकायत निवारणः

विद्यार्थियों एवं माता-पिता की शिकायतों का निवारण विनियामक आयोग के कार्यों में से एक

महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सामान्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है तथा इसकी सूचना प्रिंट मिडिया के माध्यम से भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा माता—पिता को जागरूक करने तथा सूचना के लिए प्रत्येक संस्था में नोटिस बोर्ड भी लगाए गये हैं। ऐसे एक मामले में विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2011—12 के दौरान जिला कांगड़ा के श्री पी.डी. अजेया को 29000/— रूपये की प्रवेश राशि लौटाने के आदेश ज़ारी किए हैं। (शिकायत पंजीकरण संख्याः PERC/PG/2011/07/vii)



समाचार पत्र कतरन

वर्ष 2011—12 के दौरान विभिन्न निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

वर्ष 2011-12 के	निदेशात्मक श	क्तियों के द्वारा	हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान
दौरान प्राप्त कुल	शिकायत निवार	ण	(विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010
शिकायतें			की धारा 11 के अधीन की गई
			कार्यवाही
	निपटाई गई	प्रक्रियाधीन /	
	शिकायतें	लंबित	
36	13	22	1

आयोग का वित्तप्रबन्धः

विनियामक आयोग द्वारा स्वतः वित्ततंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। अतः आयोग द्वारा हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन उसे सौपें गये कार्यों के निर्वहन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य में स्थापित निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाने वाली कुल फीस (वापिस की जाने वाली प्रतिभूति राशि को छोड़कर) का 1% भाग विनियामक आयोग द्वारा स्थापित निधि में जमा करने हेतु विनियम अधिसूचित किए गये हैं। वर्ष 2011—12 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा 13972559 रूपये का आकलन किया गया तथा 1989900/— मात्र की राशि प्राप्त की। वर्ष (31.03.2012 तक) के दौरान आकलित फीस तथा वसूली गई राशि का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम	संस्था का नाम	धारा ८ (क) के अधीन आकलन	प्राप्त राशि
संख्या		(राशि रूपये में)	(राशि रूपये में)
1	बाहरा विश्वविद्यालय	8,86,750.00	
2	चितकारा यूनिवर्सिटी	51,19,798.00	
3	अर्नी विश्वविद्यालय	13,41,372.00	
4	इंडस विश्वविद्यालय	3,70,619.00	
5	इटरनल विश्वविद्यालय	7,16,758.00	
6	शूलिनी विश्वविद्यालय	7,93,030.00	
7	बद्दी विश्वविद्यालय	16,86,232.00	
8	जेपी विश्वविद्यालय	30,49,500.00	19,89,900.00
	कुल	1,39,64,059.00	19,89,900.00

7. निरीक्षणः

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 (4) के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रवेश के मानक, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, संकाय तथा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा स्थापित मानदण्डो तथा/अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर जारी अधिनियम/विनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए निम्नलिखित "निरीक्षण सारणी" अधिसूचित की गई है, ऐसे निरीक्षण आयोग द्वारा स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु समय—समय पर गठित की जाने वाली विशेषज्ञ सिनित'के माध्यम से किए जाएंगे:'—

क्रम संख्या	संस्था का वर्ग	निरीक्षण की बारम्बारता
1	राज्य निजी विश्वविद्यालय	अर्द्धवार्षिक
2	निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा / अभियांत्रिकी एवं	वार्षिक
	प्रौद्योगिकी / प्रबंधन कॉलेजों	
3	निजी नर्सिंग / फार्मेसी महाविद्यालयों	वार्षिक
4	निजी बी.एड. / एम. एड. / बीपी एड. कालेजों / विधि	वार्षिक
	महाविद्यालयों	
5	निजी डिग्री कालेजों / मान्यता प्राप्त संबद्ध संस्कृत	द्वैवार्षिक
	महाविद्यालयों	

क्योंकि आयोग अगस्त 2011 में अपने अस्तित्व में आया अतः जहां तक निरीक्षण का सम्बन्ध है आयोग को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति पर निर्भर रहना पड़ा। तथापि विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित निजी शिक्षण संस्थाओं का विशेष निरीक्षण किया गया:–

- 1. मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन।
- 2. अरनी विश्वविद्यालयए काठगड, इंदोरा।
- 3. बैल्ज़ इन्सटिचियुट ऑफ मैनेजमैंट एण्ड टैक्नोलोजी, मेहली, शिमला।
- 4. पंडित गौरी शंकर स्मारक पोलिटैक्निक, अर्की।

बैठकें / कार्यशालाएं:

वर्ष 2011—12 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न राज्य ऐजेंसियों / संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा पद्धित में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें / कार्यशालांए आयोजत की गई जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम	तिथि	प्रतिभागी संस्थान	बैठक का विषय
संख्या			
1	20.10.2011	राज्य सरकार (उच्च शिक्षा, तकनीकी	सरकार/आयोग की कार्यपद्धति
		शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग)	तथा भूमिका परिभाषित करना
			अर्थात उच्च शिक्षा की निजी
			संस्थाएं–आगामी कार्यपद्धति।
2	03.11.2011	राज्य निजी विश्वविद्यालय के कुलपति	हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय
		और रजिस्ट्रार.	की शिक्षा के लिए एक दृष्टि स्थापित
			करना

3	15.11.2011	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से
		•	,
		के कुलपति	सम्बन्धित निजी कॉलेजों में शिक्षा की
			गुणवत्ता सम्बन्धी विषय
4	17.01.2012	राज्य सरकार (उच्च शिक्षा, तकनीकी	उच्च शिक्षा विनियम सम्बन्धी
		शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानून विभाग).	अधिनियमों में संशोधन
5	21.01.2012	राज्य के निजी विश्वविद्यालय के	एक समान प्रवेश मानक अपनाना,
		कुलपति.	AIEEE, CMAT के बारे में जागरूकता,
			विप्रो मिशन 10K अपनाना, एक
			समान शैक्षणिक कैलेंडर, अनुमोदन
			प्रक्रिया आदि को चुनना।
6	31.01.2012	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के	HPMAT और अन्य प्रवेश परीक्षा के
		क्लपति	सम्बन्ध में पूरे प्रदेश के लिए
		3	समान मानदण्ड अपनाना।
7	15.02.2012	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,	(एमबीए व बीबीए) और प्रबन्धन
	और 23.02.2012	शिमला के कुलपति / हिमाचल प्रदेश	पाठयक्रमों (एमसीए और बीसीए)
	20.02.2012	g ·	व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए
		तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश
		तथा निजी विश्वविद्यालयों के	मानदण्डों सम्बन्धी रूपात्मकता को
			अन्तिम रूप देना।
		पणधारियों के प्रतिनिधि।	

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयनः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किए गये हैं:—

नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर			
		कार्यालय / मोबाइल	निवास		
अपीलीय प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी				
श्रीमती सरोजनी ठाकुर	अध्यक्षा	0177-2629665 9418024455	0177-2627125		
जन सूचना अधिकारी					
डॉ. मनोज चौहान	सचिव	0177-2629663 9418044033	0177-2628533		

वर्ष 2011—12 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन मांगी गई सूचना की स्थिति नीचे दी जा रही है:—

प्राप्त आवेदनों / अनुरोधों की संख्या	उत्तर	हस्तांतरित	अपील
शून्य	NA	NA	NA

10. अन्य अकादिमक पहलें:

विनियामक आयोग द्वारा की गई पहल के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सभी सरकारी स्कूलों में नकली AIEEE परीक्षा योजना आरम्भ की गई है जिसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रयास के अर्न्तगत, राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पूरे प्रदेश के ऐसे 600 सरकारी विश्व माध्यमिक विद्यालयों में ऑफ लाईन/ऑन लाईन नकली AIEEE परीक्षण किए गये हैं जिनमें 10+2 स्तर पर सांईस विषय पढ़ाया जा रहा है इससे 6598 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा है।

विभिन्न चूक करने वाली संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा प्राप्त राशि

वर्ष 2011—12 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 11 के अधीन, जिसमें अधिनियम के अर्न्तगत किए गये प्रावधानों तथा बनाए गये नियमों तथा विनियमों के उल्लंधन करने पर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है, मुख्य उल्लंधनों हेतु निम्नलिखित कार्यवाही आरम्भ की गई है। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2011 के नियम 6 में 2011 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 11 में अधिकतम तथा न्यूनतम दण्ड की सीमा निर्धारित की गई है।

मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानदण्डों, योग्यताप्राप्त संकाय में कमी, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, विशेष रूप से प्रयोगशाला, कार्यालय उपकरण एवं मशीनरी आदि में पाई गई कमी पर विनियामक आयोग द्वारा 1.00 करोड़ रूपये का दण्ड लगाया गया है। उल्लघंन तथा दण्ड के विशेष स्वरूप का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम	मुकदमा	संस्था का नाम	उल्लंघन की प्रकृति	दण्ड की राशि	प्राप्त राशि
संख्या	संख्या				
1.	1/2011	मानव भारती	प्रवेशः	1.00 करोड़	1.00 करोड़
		विश्वविद्यालय,	115 छात्रों द्वारा		
		सोलन.	बुनियादी योग्यता पूरी न		
			करना (विभिन्न		
			पाठ्यक्रमों में प्रवेश के		
			स्तर में re-		
			appear/compartment)		
			संकाय शक्ति में कमी		
			(अगस्त 2011 से मार्च		
			2012 के दौरान क्षमता)		
			अपर्याप्त ढांचागत		
			सुविधाएं		
			(लैब्स, कार्यशालाओं,		
			उपकरण और मशीनरी)		

विनियामक आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अकादिमक सत्र 2012—13 से ऐसे सभी पाठयक्रमों को बन्द करने के आदेश भी दिए गये जो विनियामक निकाय की शर्तों, निर्धारित संकाय आवश्यकता तथा / अथवा योग्यता, अपर्याप्त आधारभूत संरचना (प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, उपकरण तथा मशीनरी आदि) के अनुरूप नहीं पाये गए।

अन्य अवलोकन तथा सिफारिशें

संशोधन के माध्यम से पद्धित सुधारः कार्यान्वयन के दौरान हि. प्र. निजि शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा अधिनियमों / नियमों के विभिन्न पहलुओं में कमी पाई गई। विनियामक आयोग द्वारा राज्य सरकार को कुछ प्रावधानों के सम्बन्ध में सुझाव / परामर्श दिये गये जिनके अनुसार अधिनियमों / नियमों में कुछ समावेश / संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित समावेशन / संशोधन अमल में लाए गये:—

(क) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियमः

- इस अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु विनियम बनाने की शक्ति।
- निदेशात्मक शक्तियां: अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन की अवस्था में निदेश जारी करना।

(ख) राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियमः

- पाठयक्रमों का अनुमोदन विनियम के कार्यान्वयन तथा पाठयक्रमों के अनुमोदन हेतु आयोग
 द्वारा सहक्रिया अपनाई जाती है।
- आयोग को रिपोर्ट भेजने के प्रावधान।
- विश्वविद्यालय के प्रबन्धन बोर्ड से सम्बधिंत मामलें।
- प्रबन्धन एवं न्याय के मध्य वित प्रबन्धन।

राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोंधन किए गयेः

क्रम	धारा	संशोधित प्रावधान
संख्या		
1	धारा 3	" अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के
		भीतर विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने हेतु" एक
		नये खण्ड K को शामिल करना।
2	प्रायोजित निकाय द्वारा धारा	उपधारा (2) में किए गये प्रावधानो के अधीन यदि
	41(2) के अधीन विश्वविद्यालय	प्रायोजित निकाय किसी विश्वविद्यालय के स्थापित होने
	का विलयन	से 25 वर्ष पूर्व इसका विलय करती है तो ऐसी स्थिति
		में ''विश्वविद्यालय प्रायोजित करने वाले निकाय की
		परिसम्पतियों सहित'' विश्वविद्यालय की सभी
		परिसम्पतियां सभी प्रकार के भारों से मुक्त सरकार में
		निहित होंगी।
3	क्छ निश्चित परिस्थितियों में सरकार	उपधारा (९)के मध्य नज़र यदि सरकार विश्वविद्यालय
	की विशेष शक्तियां- धारा 42 (9)	के परिसमापन / विलयन के आदेश ज़ारी करती है तो
	(0)	ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्रायोजित करने वाली
		निकाय की परिसम्पति सहित विश्वविद्यालय की समस्त
		परिसम्पतियां विलयन की तिथि से भारमुक्त रूप में
		सरकार में निहित होंगी।

आयोग के लेखे

विनियामक आयोग की परिकल्पना एक स्वतः वितपोषण तंत्र के रूप में की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी प्रारम्भिक स्थापना हेतु 70.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल फीस पर 1% शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा निधि का आगे आबंटन नहीं किया जाता क्योंकि इसके कोई भी अधीनस्त कार्यालय नहीं हैं। आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा मुगतान उपरोक्त अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग निधि के द्वारा विनियामित की जाती है। आयोग के वर्ष 2011–12 के लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्रों पर तैयार किए गये है। आयोग के लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनापत्र के रूप में तैयार किए जाते हैं। आयोग के लेखों की अभी तक भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के उपरान्त राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन वांछित है।

विनियामक आयोग के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे निम्न प्रकार से है:

क्रम	विवरण		राशि (रूपये में)
संख्या			
1	अधशेष		शून्य
2	राज्य सरकार से ऋण		7000000
3	प्राप्तियां	हि. प्र. निजि शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन	1989900
		ब्याज	60,109
4	कुल(1+2+3)		9050009
5	व्यय	पूंजीगत व्यय	1780956
		राजस्व व्यय	1734729
6	अग्रिम		178064
7	কুল(5+6)		3693749
8	अन्तरोष (4-7) 31.03.2012 तक		5356260

वर्ष 2011-12 का आय और व्यय लेखाः

व्यय	आय		
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
स्टाफ का वेतन और मजदूरी	14,01,345.00	एकत्रित फीस	19,89,900.00
कार्यालय ट्यय	63,994.00	अर्जित ब्याज	60,109.00
वाहन तथा पीओएल प्रभार	52,764.00	आय से व्यय पर आधिक्य	29,138.00
स्टेशनरी	30,471.00		
बिजली और जल प्रभार	28,524.00		
मोटर वाहन के रखरखाव	15,257.00		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	7,068.00		
टेलीफोन प्रभार	34,648.00		
भत्ता यात्रा	48,878.00		
डाक एवं तार	4,000.00		
बैंक प्रभार	615.00		
वाहन बीमा	14,645.00		
विज्ञापन खर्च	7,074.00		
स्थाई परिसम्पतियों के अवमूल्यन द्वारा	3,69,864.00		
कुल	20,79,147.00		20,79,147.00

31.03.2012 तक का तुलन पत्रः

दायित्व	परिसम्पतियां		
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
राज्य सरकार से ऋण	70,00,000.00	बैंक में	53,56,260.00
आय से अधिक व्यय को घटाकर	-29,138.00	बकाया अग्रिम	1,78,064.00
		फर्नीचर और फिक्स्चर	1,61,328.00
		बिजली उपकरण	1,17,203.00
		कंप्यूटर	99,274.00
		वाहन	10,33,287.00
		प्रीपेड बीमा	25,446.00
कुल	69,70,862.00	कुल	69,70,862.00

(लेखा परीक्षा के बिना आंकड़े)

